04.01.2024

पत्रावली पेश हुई।

पक्षकारान वकील उपस्थित।

वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वास्ते तलब करने मौका रिपोर्ट पर उभयपक्ष को सुना गया।

प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि वादी द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 200/2022 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध श्रीमानजी के समक्ष पेश किया है इस वाद पत्र के साथ राजस्व आवेदन संख्या 200/ 2022 भी पेश किया गया है जिसमे प्रार्थी की तरफ से दिनांक 29.06.2022 के श्रीमान के न्यायालय से एक तरफा निषेधाज्ञा भी प्राप्त की गई है। कि राजस्व ग्राम गादेसरा के खेत खसरा नम्बर 14 रकबा 60–12 बीघा का आया हुआ है जो थानाराम का पुश्तैनी खेत था थानाराम के बाद उनके दोनों लडको लक्ष्मणाराम व धनाराम के हिस्से में दी गई व इसके बदले चाडो की ढाणी में जो अच्छी उपजाऊ व जिसमें ढाणी बनी थी वह लक्ष्मणाराम ने रखी थी। खसरा नम्बर 14 पर विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 का से आज दिन तक कब्जा काश्त व रहवास चला आ रहा है लक्ष्मणाराम के परिवार का इस खरीददार का भी मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है आज भी मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की फसल थी व इस खसरे में स्थाई घर बनाकर विप्रार्थी संख्या 1 से 3 का ही रहवास चला आ रहा है। वादी द्वारा जो जमीन खरीदी गई है वादी स्ट्रेन्जर खरीददार है मौके पर बेचान कर्ता व खरीददार का कब्जा नहीं है स्ट्रेन्जर खरीददार बटवाड़ा करवनो से पूर्व खरीद सुदा भूमि में प्रवेश भी करने का अधिकारी नहीं है। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 का मौके पर कब्जा काश्त व पुराना रहवास है प्रार्थी अगर झुठा अपना कब्जा बताकर, अगर न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लेता है तो इसमें विप्रार्थी संख्या 1 से 3 को अपूर्णीय मान आर्थिक व शारीरिक क्षति होगी। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की यह पुश्तैनी भुमि होने से इस माटी से पीढीयों का रिस्ता जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में मौके पर वास्तविक रूप से किस पक्षकार का कब्जा है इसके लिये मौका रिपोर्ट मंगवाई जानी आवश्यक है मौका रिपोर्ट के आधार पर श्रीमानजी को सही व निष्पक्ष न्याय करने में भी मदद मिलेगी व किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। अतः विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की तरफ से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौका रिपोर्ट मंगवाने का आदेश फरमावें। मौका कमिश्नर का खर्चा विप्रार्थी संख्या 1 से 3 वहन करने पर सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod
Date: 2024.03.04 14:36:40
Reason: SelfAttested

विप्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थी के अभिकथनों पर जवाब [illegible] तथ्य [illegible] प्रकट किया कि प्रतिवादी स्वंय यह स्वीकार कर रहे [illegible] आराजी थानाराम की पुश्तैनी थी और थानाराम के बाद उनका हिस्सा उनके दोनो लड़के लक्ष्मणराम व धनाराम के हिस्से में दी गयी [illegible], यह बात सही है। और वादी के द्वारा लक्ष्मणराम के वारिशान से ही उनका हिस्सा खरीदा है और मौके पर अपने हिस्से के अनुसार काबिज है। वादी के अपने हिस्से में अपनी फसल उगाई थी जो अब काट दी गयी है। पक्षकारान का अपने हिस्से के अनुसार काबिज है। और वादी बंटवाड़ा करवाना चाहता है। प्रार्थी के द्वारा विप्रार्थी के पूर्व सहखातेदार से प्रतिफल राशि देकर उनका हिस्सा जरिये पंजीयन रजिस्ट्री से खरीदा

गया है। और विक्रेता के द्वारा अपने हिस्से का जहा पर अपना कब्जा–काश्त था उसे प्रार्थी को बेचान करने पर दिया गया जिसका वर्णन रजिस्ट्री में भी किया जा चुका है और मौके पर प्रार्थी काबिज भी है। अप्रार्थी वावादित आराजी का सहखातेदार है और एक सहखातेदार को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा करवाने के लिये कानूनन अधिकार प्राप्त है। जिसके लिये यह विधिवत दावा पेश किया गया है। विप्रार्थी के अन्य कथन मिथ्या व निराधार है। विप्रार्थी संख्या 01 से 03 का उपरोक्त विवादित आराजी में अपने हिस्से के अनुसार कब्जा–काश्त है और इसी अनुरुप अपने हिस्से में प्रार्थी का भी कब्जा–काश्त है। प्रार्थी के द्वारा पाक व साफ नियत व विधि के अनुरुप उक्त बंटवाड़े का दावा पेश किया गया है जिसके साथ स्थगन आवेदन भी पेश किया गया था जिस पर माननीय न्यायालयश्री ने तथ्य व परिस्थितियों पर मनन व गौर कर और बाद सुनवाई कर विधि सम्मत स्थगन आदेश जारी किया गया है जिससे विप्रार्थी संख्या 01 से 03 को किसी प्रकार नुकसान या अपूर्णीय क्षति नही हो रही है। और न ही विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के हिस्से में प्रार्थी की और से कोई हस्तक्षेप किया जा रहा है। विप्रार्थी के अन्य कथन मिथ्या व निराधार है। विवादित आराजी में प्रत्येक खातेदार का जब संयुक्त रुप से खेत है तो उसमें प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच–इंच की भूमि पर कब्जा माना जाता है। और उक्त पत्रावली में साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये जा चुके है पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित है जिसमें मौके व कब्जे की स्थिति आ जायेगी और विभाजन हो जायेगा, अब मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना उचित नही है क्योंकि विप्रार्थी वाद को लम्बा करने व विभाजन नही होने की नियत से इस प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय का समय खराब करना चाहता है। विभाजन, प्रस्ताव आने से ही पक्षकारान के साथ जल्दी और विधि सम्मत न्याय प्रदान होगा।अतः उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय का समय खराब करने और वाद को मात्र लम्बा करने की नियत से पेश किया गया है जिसका वाद के तथ्य व परिस्थितियों से कोई लेना देना नही है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावे ।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं राजस्व रेकर्ड का भली–भांति अवलोकन एवं विवेचन किया गया। चूंकि विवाद का मुख्य कारण खातेदारी की घोषणा करवाने में पारिवारिक समझौता के आधार पर निर्धारण की होने से उसका निपटारा मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूत के आधार पर विधिवत सुनवाई के किया जाना है। परन्तु जहां राजस्व रेकर्ड में नाम अंकित नहीं होने के बावजूद भी अपनी ओर से कब्जा काश्त होने का उल्लेख करते हुए मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति [illegible] किसी ठोस कारणों के अदालत साक्ष्य संक[illegible] प्रमाणित करने हेतु मौका रिपोर्ट तलब किया जाना उचित नहीं समझ[illegible] है। मौका पर कब्जा होने अथवा खातेदारी भूमि में उसका हक निहित होने का जिम्मा पक्षकार स्वयं का है, जिसे जरिये साक्ष्य/सबूतों के [illegible] खुद साबित करवाने हेतु स्वतंत्र है। लिहाजा प्रार्थना पत्र वास्ते तलब करने मौका रिपोर्ट खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। परन्तु जहां प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमी पैतृक एवं सामालाती होने की इस्तदुआ से सम्बद्व रखता हो तथा विप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार होने के दावें में स्वयं को साबित करने के दौरान यदि विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:36:40 IST
Reason: SelfAttested

अथवा विवादित भूमि के बैचान अथवा मौका स्थिति में [illegible] होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाता है,तो [illegible] को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य [illegible] से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण [illegible] में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का [illegible] प्रार्थीगण के पक्ष में निहीत होने से स्थगन आदेश जारी किया [illegible] न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तलब करने मौका रिपोर्ट खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीगण का मूल आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.06.2022 को मूलवाद के ताफैसला तक कन्फर्म किया जाता है तथा दोनो पक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वे मौजा गादेसरा तहसील सिणधरी की की खसरा संख्या 14 रकबा 9.6999 हैक्टयर भूमी के मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:36:40 IST
Reason: SelfAttested